



वैकल्पिक मतदान वधियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मतदाता भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिये विश्व के सबसे बड़े आम

- चुनाव (आम चुनाव) में मतदान कर रहे हैं, जो सात चरणों में संपन्न होगा।

नागरिकों के लिये मतदान की वैकल्पिक वधियाँ क्या हैं?

- **RPA के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया:**
 - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA), सार्वभौमिक मताधिकार** सुनिश्चित करने के लिये कुछ मतदाताओं को अपवादों के साथ, **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)** का उपयोग करके नरिदषिट मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का आदेश देता है।
- **डाक मतपत्र:** डाक मतपत्र उन मतदाताओं को दूर से मतदान करने की अनुमति देता है जो मतदान केंद्रों पर उपस्थिति नहीं हो सकते हैं, जैसा कि **RPA की धारा 60** में नरिदषिट है।
 - यह पद्धतिसामान्य मतदान से **तीन प्रकार से भिन्न है:**
 - मतदान, मतदान केंद्र के बाहर होता है,
 - यह EVMs द्वारा नहीं होता है।
 - नरिवाचन क्षेत्र में नरिधारति मतदान तथिसे पूर्व ही मतदान संपन्न होता है।
 - **पात्रता:** **चुनाव संचालन नयिम, 1961 के नयिम-18** के अनुसार, नमिनलरिखति वर्गों के व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिये पात्र हैं:
 - **वशिष मतदाता: RPA की धारा 20(4) के अंतर्गत** घोषति पद धारण करने वाले व्यक्ति, जिनमें **राषट्रपति, उपराषट्रपति, राज्यपाल**, कैबनिट मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्ति, आदि और उनके पति या पत्नी शामिल हैं।
 - **सेवा मतदाता: भारतीय सशस्त्र बलों**, अर्धसैनिक बलों के सदस्य, अपने राज्य के बाहर सेवारत एक सशस्त्र राज्य पुलिस सदस्य या वदिश में तैनात एक सरकारी कर्मचारी और उनके साथ रहने वाले उनके पति या पत्नी।
 - **चुनाव ड्यूटी पर मतदाता:** चुनाव ड्यूटी में शामिल आयोग के अधिकारियों से लेकर नजी कर्मियों तक सभी व्यक्ति शामिल हैं।
 - **RPA 1951 की धारा 60 (c) के अंतर्गत अनुपस्थति मतदाता:** वर्ष 2019 में **चुनाव आयोग** ने "अनुपस्थति मतदाताओं" की श्रेणी बनाई, जिसमें 85 वर्ष या उससे अधिक उमर के **वरिषट नागरिक**, कम से कम 40% वकिलांगता वाले दवियांग व्यक्ति शामिल हैं और ऐसे व्यक्ति जो रेलमार्ग, दूरसंचार, बजिली, स्वास्थ्य, यातायात, वमिनन, अग्नशिमन सेवाओं एवं अधिकृत मीडिया संगठनों जैसी आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी जो **कोवडि-19** से प्रभावति हैं, को शामिल कया गया है।
 - **नवारिक नरिध के तहत:** नरिवाचकों को **नवारिक नरिध** के अधीन कया गया।
 - **आवेदन की प्रक्रिया:** डाक मतदान के लिये योग्य व्यक्तियों को एक नरिदषिट समय सीमा के भीतर औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा, जबकि सेवा मतदाताओं और नवारिक हरिसत के तहत आने वाले लोगों को स्वचालति रूप से डाक मतपत्र प्राप्त होते हैं तथा एक बार जारी होने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं।
 - **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारति डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System- ETPBS):** वर्ष 2016 में नयिम 23 में एक संशोधन ने सेवा मतदाताओं के लिये **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS)** की शुरुआत की, जिससे एनकरपिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के माध्यम से डाक मतपत्रों की तेज़ी से डलिवरी और पोस्ट के माध्यम से मुफ्त रटिर्न की सुवधि मलि सके।
 - **प्रक्रिया:**
 - 2022 में पेश कया गया नयिम 18A, चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करके नरिदषिट सुवधि केंद्रों पर मतदान करने का आदेश देता है।
 - इसी प्रकार, आवश्यक सेवा (AVES) श्रेणी में अनुपस्थति मतदाताओं द्वारा मतदान की सुवधि के लिये डाक मतदान केंद्र (Postal Voting Centre- PVC) के लिये एक उपयुक्त स्थान और कमरे नरिधारति कयि जाते हैं।
- **होम वोटिंग:**


- **मानदंड:** देशभर में 81 लाख 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दवियांग मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।
- **प्रक्रिया:** वरषिठ नागरकों और 85 वर्ष से अधिक उमर के दवियांगों तथा **कोवडि-19** संदगिध/सकारात्मक श्रेणी के अनुपस्थति मतदाताओं के लयि, बूथ स्तर के अधिकारी (Booth Level Officers- BLO) फॉर्म 12D देते हैं तथा अनविरय रूप से उनसे पावती प्राप्त करते हैं।

▪ **वविधि:**

- **एक पृथक मतदान केंद्र में मतदान:** जब एक चुनावी कार्यकर्त्ता को उनके पंजीकृत नरिवाचन कषेत्र में नयुक्त कयिा जाता है, तो उन्हें एक चुनाव करत्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जो उन्हें उनके नरिधारति मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति देता है; अन्यथा वे डाक मतपत्र के लयि पात्र होते हैं।
- **प्रॉक्सी वोटगि:** सशस्त्र और अर्धसैनकि सेवा के सदस्य प्रॉक्सी या डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं; प्रॉक्सी का वकिल्प चुनने वालों को 'वर्गीकृत सेवा मतदाता' कहा जाता है।
- **सहायता प्राप्त मतदान:** मतदाता वकिलांगता से संबधति मामलों में पीठासीन अधिकारी 18 वर्ष से अधिक उमर के साथी की दाहनी तर्जनी पर अमटि स्याही लगाकर उन्हें अपनी ओर से मतदान करने की अनुमति दे सकता है।

मतदान प्रक्रिया से अयोग्यता:

- जनि व्यक्तयों को **भारतीय दंड संहति (Indian Penal Code- IPC)** की धारा 171E (जो रशिवतखोरी से संबधति है) और धारा 171F (जो चुनाव में प्रतरूपण या अनुचति प्रभाव से संबधति है) के तहत कयि गए अपराधों के लयि दोषी ठहराया जाता है, उन्हें चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषति कर दयिा जाता है।
- **जन प्रतनिधितिव अधनियम, 1951** की धारा 125 (जो वभिनिन चुनावी अपराधों से संबधति है), धारा 135 और धारा 136 के तहत अपराधों के लयि दोषी ठहराए जाने वालों को चुनाव से अयोग्य घोषति कयिा जा सकता है।
- **यदकिई व्यक्तएक से अधिक नरिवाचन कषेत्रों में मतदान करता है, तो उसका मत (vote) अयोग्य घोषति कर दयिा जाता है।**





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



//

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकिया है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभाजन/वलय से संबंधति वविाद नपिताता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2020)

1. भारत के संवधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्तजि मतदान के लयि योग्य है, कसिी राज्य में छह माह के लयि मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कविह उस राज्य के वधिान-मंडल का सदस्य नहीं है ।
2. लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्तजि दांडकि अपराध के अंतरगत दोषी पाया गया है और जसि पाँच वर्ष के लयि कारावास का दंड दयिा गया है, चुनाव लड़ने के लयि स्थायी तौर पर नरिरहत हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

